(2011) 1 एस. सी. आर. 647

ए. कमलेश्वर पासवान

बनाम

यू. टी. चंडीगढ़ राज्य

2009 की आपराधिक अपील सं. 739-749

11 जनवरी, 2011

(हरजीत सिंह बेदी और चंद्रमौली के. आर. प्रसाद, न्यायाधीश)

दंड संहिता, 1860, धारा 302, 307. हत्या- अभियुक्त द्वारा लाठी से वार किये गये। अभियुक्त पिता द्वारा अपने तीन बच्चों पर वार किये गये जिससे दो बच्चों की मृत्यु हो गयी। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के तहत दोषसिद्धि होने पर मृत्यु दण्ड दिया गया। दोषसिद्धि व सजा के विरुद्ध अपील - निर्णय चक्षुदर्शी गवाहों की साक्ष्य चिकित्सीय साक्ष्य से अनुमोदित थी। चोटों की प्रकृति जाहिर करती थी कि उन्हें सीधे खतरनाक एवं हिंसक तरीके से सीधे हमला कर लाठी से मारा गया। अभियुक्त की पत्नी द्वारा प्रतिरक्षा में जो कहानी चलायी गयी वह स्वीकार्य नहीं है क्योंकि डाॅक्टर की राय में तीनों आहतगण को जो चोटें आयीं, वे पत्नी द्वारा बताये गये तरीके से नहीं आ सकती थी। फिर भी

यह मामला बिरलों में सबसे बिरला मामला नहीं है। यह अपराध अभियुक्त द्वारा नषे की हालत में व अपनी पत्नी से झगड़ा होने के बाद किया गया। अभियुक्त एक रिक्षा चलाने वाला 28 वर्षीय परदेशी है, जो चंडीगढ़ में रहता है। उसके मानसिक व आर्थिक दबाव है, ताकि वह अपना जीवनयापन कर सके। अभियुक्त एफ द्वारा प्रस्तुत की गयी अपील इस स्तर तक स्वीकार की जाती है कि उसकी मृत्युदण्ड की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया जाये।

दाण्डिक अपीलीय क्षेत्राधिकार

दाण्डिक अपील सं. 739, 740/2009

(उच्च न्यायालय पंजाब व हरियाणा चण्डीगढ़ के निर्णय व आदेष दिनांक 30.04.2008 के हत्या के मामले के संदर्भ सं. 9/2007 तथा दाण्डिक अपील सं. 1 - डिवीजन बेंच 2008)

एस ऊषा रेड्डी, अभिभाषक अपीलार्थी की ओर से

कामिनी जायसवाल, अभिभाषक प्रत्यर्थी की ओर से

न्यायालय का निम्न आदेश प्रसारित किया गया।

आदेश

यह वास्तव में एक दुर्भाग्यशाली मामला है।

15 जनवरी को गुरनाम सिंह अभियोजन साक्षी 3 जो मकान सं. 1 गांव किषनगढ़ में चंडीगढ़ केंन्द्रीय क्षेत्र में रहता था। अपने एक नौकर मिल्खा सिंह के पास व्यक्तिगत कार्य के लिए गया। जैसे ही वह प्रीतम सिंह के घर पहुंचा, उसे एक औरत घर के बाहर खड़ी चिल्लाती हुई मिली - "मार दिया, मार दिया"। अभियोजन साक्षी गुरनाम सिंह ने घर के भीतर से एक चिल्लाते हुए बच्चे की आवाज भी सुनी उसने दरवाजा खोला व अभियुक्त / अपीलार्थी कमलेश्वर पासवान को अपने 3 बच्चों को लकड़ी के डण्डे से मारते देखा, जिनमें अपीलार्थी की पुत्री यशोदा भी शामिल थी। यशोदा एक तरफ गम्भीर चोटों के साथ पड़ी हुई थी। उसने यह भी देखा कि अपीलार्थी के पुत्र सुनील पासवान और सूरज पासवान उम्र क्रमशः 1 व 3 वर्ष को भी चोटें आई हैं तथा वे बेहोश पड़े हैं। अभियोजन साक्षी गुरनाम सिंह ने सुनैना (अभियुक्त की पत्नी) के साथ मिलकर बच्चों को गांव किशनगढ़ के शर्मा क्लीनिक में पहुंचाया। डाॅ. ने उन्हें बताया कि बच्चे गंभीर अवस्था में हैं। अतः उन्हें पीजीआई चंडीगढ़ ले जाओ। इस दौरान पुलिस कन्ट्रोल रूम से शर्मा क्लीनिक पर आया। अभियोजन साक्षी 3 व अभियुक्त की पत्नी उन तीनों बच्चों के साथ सामान्य चिकित्सालय सेक्टर 16 चंडीगढ़ पहुंचे। जिसने उन्हें आगामी इलाज के लिए पीजीआई में भेज दिया। पीजीआई में अभियोजन साक्षी 3 ने उपनिरीक्षक सुनहरा सिंह अभियोजन साक्षी 14 को समस्त तथ्य बताये। जिस पर एक प्रथम सूचना

भारतीय दण्ड संहिता की धारा 307 के तहत आरक्षी केन्द्र मनी माजरा में दर्ज की गई। अभियुक्त के दोनों पुत्र इसके पश्चात् मृत्यु को प्राप्त हुए तथा इस मामले में 302 दण्ड संहिता जोड़ी गई। अभियोजन साक्षी 14 ने मौके पर पहुंच कर निरीक्षण व अनुसंधान किया।

अपीलार्थी का मामला 302 व 308 के तहत सत्र न्यायालय को भेजा गया। अन्वीक्षा न्यायालय ने चक्षुदर्शी गवाहों अभियोजना साक्षी 1 विनोद 2 अनिल कुमार जो अपीलार्थी के पड़ोसी हैं तथा अभियोजना साक्षी 3 गुरनाम सिंह की साक्ष्य पर भरोसा करते हुए यह तय किया कि अपीलार्थी के विरुद्ध मामला संदेह के परे साबित है। सुनैना अभियुक्त की पत्नी अभियुक्त की ओर से प्रतिरक्षा गवाह के रूप में प्रस्तुत हुई तथा उसने यह साक्ष्य दी गई कि तीनों बच्चों को दुर्घटनास्वरूप चोटें आई थी तथा अभियुक्त ने कुछ नहीं किया। अन्वीक्षा न्यायालय ने उक्त तीन अभियोजन गवाहों की साक्ष्य पर भरोसा करते हुए तथा चिकित्सीय साक्ष्य अभियोजन गवाह सं. 4 डाॅ. दिलबर सिंह, जिसने पोस्टमार्टम किया था तथा यषोदा की चोटें देखी थीं, भरोसा करते हुए अपीलार्थी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 व 307 के तहत दोषसिद्ध घोषित किया तथा उसे मृत्युदण्ड से दण्डित किया। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 307 के तहत पृथक् से कोई दण्डादेष नहीं दिया गया। इसके पश्चात् यह मामला दण्ड की पुष्टता के लिए उच्च न्यायालय को संदर्भित किया गया तथा अपीलार्थी ने भी उच्च न्यायालय में अपील प्रस्तुत की। उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय द्वारा

अभियुक्त को दी गई मृत्युदण्ड की सजा को बरकरार रखा तथा अभियुक्त अपीलार्थी की अपील खारिज कर दी। उक्त परिस्थितियों में यह मामला हमारे सामने आया है।

हमने पक्षकारों के विद्वान अभिभाषकगण को सावधानीपूर्वक सुना। हम देखते हैं कि अभियोजन का मामला साक्ष्य से पूर्णतः साबित है। चक्षुदर्शी गवाहों अभियोजन साक्षी 1, 2 व 3 तथा उनके साक्ष्य जो स्पष्ट रूप से चिकित्सीय साक्षी अभियोजन गवाह 4 डाॅ. की साक्ष्य से अनुमोदित है। प्रतिरक्षा में प्रतिरक्षा गवाह 2 की कहानी जो अभियुक्त की पत्नी ने प्रस्तुत की है। वह स्वीकार्य नहीं है क्योंकि चिकित्सक ने स्पष्ट राय दी है कि तीनों आहतों को जो चोटें आई हैं वे उस तरीके से नहीं आ सकती जिस तरीके से अभियुक्त की पत्नी ने बताया। चोटों की प्रकृति स्पष्ट रूप से दिखाती है कि वे सीधे खतरनाक व हिंसक तरीेके से लाठी से कारित की गई हैं।

श्रीमती एस. ऊषा रेड्डी, विधिक सहायता, अभिभाषक ने अपीलार्थी की ओर से यह तर्क दिया कि वर्तमान मामला बिरलों में सबसे बिरला मामला नहीं है।

यह देखते हुए कि अपीलार्थी 28 वर्ष का नवयुवक था तथा अपराध करते वक्त अभियोजन कहानी के अनुसार नशे में था तथा उसका अपनी पत्नी से झगड़ा हुआ था। हम यह तथ्य भी नहीं बुला सकते कि वह रिक्शा

चलाता है तथा चंडीगढ़ से बाहर से आया है जिसके कारण उसे मानसिक व आर्थिक दबाव से दबाव से गुजरना पड़ रहा है। किशनगढ़ गांव केन्द्रीय क्षेत्र चंडीगढ़ से पास में ही है। जहां पंजाब व हरियाणा के राज्यपाल भी रहते हैं, गोल्फ क्लब भी है और शहर के बहुत महत्वपूर्ण व इज्जतदार पैसेवाले लोग रहते हैं। यह कहना अनुचित नहीं होगा कि ऐसे लोग अपीलार्थी जैसे लोगोें से कोई रिश्ता नहीं रखते तथा इसी कारण यह हादसा हुआ। फिर भी सभी तथ्यों केे मद्देनजर जो तस्वीर सामने आती है तथा जो बताया गया उससे हम यह पाते हैं कि न्याय का उद्देश्य पूरा हो जायेगा यदि अपील को आंशिक तौर पर स्वीकार कर दिये गये मृत्युदण्ड को आजीवन कारावास की सजा में परिवर्तित कर दिया जाये।

हम तदानुसार अपीलें खारिज करते हैं लेकिन मृत्युदण्ड को आजीवन कारावास में बदलते हैं।

अपीलें खारिज की गई।

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।

<u>अस्वीकरण</u> - इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।